संख्या-20/1337/22-4-14-48(3)/10

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 13 नवम्बर,2014

विषय- जिला कारागार, मिर्जापुर की मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 30088/नम-2, दिनांक- 21 अक्टूबर, 2014 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 1682/22-4-10-48(3)/10, दिनांक 28 सितम्बर, 2010 तथा शासनादेश संख्या- 1221/22-4-13-48(3)/10, दिनांक 29 अगस्त, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मिर्जापुर की मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु वॉछित रू0 1,29,75,000/-(रूपया एक करोड़ उन्तिस लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 60.00 लाख तथा पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू0 173.78 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2013-14 में द्वितीय किश्त के रूप में रू0 26.89 लाख इस प्रकार कुल रू0 86.89 लाख की धनराशि अवमुक्त् की गयी थी। उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 86,89,000/-(रूपया छियासी लाख नवासी हजार मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

2- इस निमित्त होने वाला चालू व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण्-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- शासनादेश दिनांक 28 सितम्बर, 2010 तथा दिनांक 29 अगस्त, 2013 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- कार्य पूर्ण होने पर कार्य संपरीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22-07-2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 20/1337(1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधानमहालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प0, इलाहाबाद।
(2) प्रबन्ध् निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
(3) जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in